

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2667

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

यूजीसी के समानता विनियमों का कार्यान्वयन

†2667. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समानता विनियमों को लागू करने के लिए अपेक्षित समितियों की स्थापना, हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र सहित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की इस विषय में प्रचालनगत तत्परता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त विनियमों के अनुपालन हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों को दी गई समय-सीमा और उनकी संस्थागत क्षमता के संबंध में सरकार के आकलन तथा संसाधन आवंटन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये विनियम बिना किसी अनपेक्षित व्यवधान के अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त करें, सरकार द्वारा परिसरों में क्षमता निर्माण, संवेदीकरण प्रशिक्षण और अनुपालन की निगरानी में सहायता के लिए क्या रणनीतिक पहल करने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): दिनांक 13.01.2026 को अधिसूचित यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2026 के आदेश द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

इसलिए, यह मामला विचाराधीन है।
